

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2021—फाल्गुन 21, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021

क्र. 3923-139-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 मार्च, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२१

[दिनांक ११ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२१ है.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६७,७१,९७,१७,१६३ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ सत्तानवे लाख सत्रह हजार एक सौ तिरसठ मात्र होता है, मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक २ सन् २०२१) की अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुये, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक २ सन् २०२१) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१००	१००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	४७,३६,००,०००	२४,०५,१००	४७,६०,०५,१००
		पूंजी	२,१३,५४,०००	०	२,१३,५४,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१६,०५,०००	०	१६,०५,०००
००३.	पुलिस	राजस्व	७००	०	७००
००४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजी	५८,००,०००	०	५८,००,०००
००५.	जेल	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
००६.	वित्त	राजस्व	४,४००	०	४,४००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१९,००,००,०००	०	१९,००,००,०००
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१६,००,०६,००,०००	०	१६,००,०६,००,०००
		पूंजी	१,६३,३८,०००	०	१,६३,३८,०००
०१०.	वन	राजस्व	७१,९५,५५,५००	२०,००,०००	७२,१५,५५,५००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	१९,६१,३८,००,०००	०	१९,६१,३८,००,०००
		पूंजी	३८,६२,००,०००	०	३८,६२,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१६,००,८४,७४,०००	०	१६,००,८४,७४,०००
०१४.	पशुपालन	राजस्व	२०,१९,९०,०००	०	२०,१९,९०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	३७,८९,३०,०००	०	३७,८९,३०,०००
०१८.	श्रम	राजस्व	१,६२,५०,००,०००	०	१,६२,५०,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१,५७,८४,००,३००	०	१,५७,८४,००,३००
		पूंजी	६००	०	६००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२,३९,३७,५८,०००	०	२,३९,३७,५८,०००
		पूंजी	२,१५,००,००,०००	०	२,१५,००,००,०००
०२३.	जल संसाधन	पूंजी	१,७५,००,०६,४००	०	१,७५,००,०६,४००
०२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	राजस्व	१,२१,००,००,०००	०	१,२१,००,००,०००
		पूंजी	१,६८,००,००,०००	०	१,६८,००,००,०००
०२५.	खनिज साधन	राजस्व	१,२०,००,०००	०	१,२०,००,०००
०२६.	संस्कृति	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	७,८८,४१,००,०००	०	७,८८,४१,००,०००
०२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	७,००,००,९००	०	७,००,००,९००
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	६,००,००,०००	०	६,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३२.	जनसंपर्क	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	२०,८८,००,१००	०	२०,८८,००,१००
		पूंजी,	१२,२५,२०,०००	०	१२,२५,२०,०००
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	राजस्व	९५,४८,६३०	०	९५,४८,६३०
०३६.	परिवहन	पूंजी	१००	०	१००
०३८.	आयुष	राजस्व	४४,८२,०४,८३३	०	४४,८२,०४,८३३
०३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१०,१३,४००	०	१०,१३,४००
०४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.	राजस्व	१२,००,००,०००	०	१२,००,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	१२,७१,२०,०००	०	१२,७१,२०,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	७,४७,००,००,०००	०	७,४७,००,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	२,५१,१२,००,०००	०	२,५१,१२,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व २८,८५,८१,०००	० २८,८५,८१,०००
०५१.	अध्यात्म	राजस्व २,००,००,०००	० २,००,००,०००
०५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व २५,८३,६३,२९,०००	० २५,८३,६३,२९,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व १,३६,८५,३२,०००	० १,३६,८५,३२,०००
०५७.	पर्यावरण	राजस्व २०,१०,४७,२००	० २०,१०,४७,२००
०५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ४०,५२,००,००,००० पूंजी ४,८५,४०,०१,०००	० ४०,५२,००,००,००० ० ४,८५,४०,०१,०००
०६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व ४,७८,६२,७०० पूंजी १,०७,०४,८३,३००	० ४,७८,६२,७०० ० १,०७,०४,८३,३००
०६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी ४,५०,००,०००	० ४,५०,००,०००
०६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व ७८,५५,९०० पूंजी ९५,०८,००,०००	० ७८,५५,९०० ० ९५,०८,००,०००
०६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ६,०७,६६,९५,००० पूंजी २५,००,००,०००	० ६,०७,६६,९५,००० ० २५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०६५. विमानन	राजस्व	४,०२,००,०००	०	४,०२,००,०००
	पूंजी	३३,५०,००,०००	०	३३,५०,००,०००
०६६. पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	६,३०,००,०००	०	६,३०,००,०००
	राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
०६८. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
	राजस्व	१,४६,५५,७८,०८,५६३	४४,०५,२००	१,४६,५६,२२,१३,७६३
योग :	पूंजी	२१,१५,७५,०३,४००	०	२१,१५,७५,०३,४००
	वृहद-योग :	१,६७,७१,५३,११,९६३	४४,०५,२००	१,६७,७१,९७,१७,१६३

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021

क्र. 3923-139-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 1 OF 2021

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 11th March, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th March, 2021].

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2020-21.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2021.

Issue of Rs. 1,67,71,97,17,163 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2020-21.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate inclusive of the sums in column (3) of the Schedule to the Madhya Pradesh Appropriation Ordinance 2021 (No. 2 of 2021) to the sums of Rs. Sixteen thousand seven hundred seventy one crore ninety seven lakh seventeen thousand one hundred sixty three only towards defraying the several charge which shall come in the course of payment during the Financial Year 2020-21 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation. 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Repeal and Saving. 4. (1) The Madhya Pradesh Appropriation Ordinance, 2021 (No. 2 of 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

Amount in Rupees

(1) Number of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	100	100
001.	General Administration	Revenue	47,36,00,000	24,05,100	47,60,05,100
		Capital	2,13,54,000	0	2,13,54,000
002.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	16,05,000	0	16,05,000
003.	Police	Revenue	700	0	700
004.	Other expenditure pertaining to Home Department	Capital	58,00,000	0	58,00,000
005.	Jail	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
006.	Finance	Revenue	4,400	0	4,400
007.	Commercial Tax	Revenue	19,00,00,000	0	19,00,00,000
008.	Land Revenue and District Administration	Revenue	16,00,06,00,000	0	16,00,06,00,000
		Capital	1,63,38,000	0	1,63,38,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
010.	Forest	Revenue	71,95,55,500	20,00,000	72,15,55,500
012.	Energy	Revenue	19,61,38,00,000	0	19,61,38,00,000
		Capital	38,62,00,000	0	38,62,00,000
013.	Farmer Welfare and Agriculture Development.	Revenue	16,00,84,74,000	0	16,00,84,74,000
014.	Animal Husbandry	Revenue	20,19,90,000	0	20,19,90,000
016.	Fisherman Welfare and Fisheries Development	Revenue	37,89,30,000	0	37,89,30,000
018.	Labour	Revenue	1,62,50,00,000	0	1,62,50,00,000
019.	Public Health and Family Welfare	Revenue	1,57,84,00,300	0	1,57,84,00,300
		Capital	600	0	600
022.	Urban Development and Housing	Revenue	2,39,37,58,000	0	2,39,37,58,000
		Capital	2,15,00,00,000	0	2,15,00,00,000
023.	Water Resources Department	Capital	1,75,00,06,400	0	1,75,00,06,400
024.	Public Works-Roads and Bridges	Revenue	1,21,00,00,000	0	1,21,00,00,000
		Capital	1,68,00,00,000	0	1,68,00,00,000
025.	Mineral Resources	Revenue	1,20,00,000	0	1,20,00,000
026.	Culture	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
027.	School Education (Primary Education)	Revenue	7,88,41,00,000	0	7,88,41,00,000
029.	Law and Legislative Affairs	Revenue	7,00,00,900	0	7,00,00,900
031.	Planning, Economics and Statistics	Revenue	6,00,00,000	0	6,00,00,000
032.	Public Relations	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
033.	Tribal Affairs	Revenue	20,88,00,100	0	20,88,00,100
		Capital	12,25,20,000	0	12,25,20,000
034.	Social Justice and disabled person welfare	Revenue	95.48.630	0	95.48.630
036.	Transport	Capital	100	0	100
038.	Ayush	Revenue	44,82,04,833	0	44,82,04,833
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	10,13,400	0	10,13,400
042.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	12,00,00,000	0	12,00,00,000
044.	Higher Education	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.	Revenue	12,71,20,000	0	12,71,20,000
048.	Narmada Valley Development	Capital	7,47,00,00,000	0	7,47,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
049.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	2,51,12,00,000	0	2,51,12,00,000
050.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	28,85,81,000	0	28,85,81,000
051.	Religious Trusts and Endowments			
	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
053.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	25,83,63,29,000	0	25,83,63,29,000
055.	Women and Child Development			
	Revenue	1,36,85,32,000	0	1,36,85,32,000
057.	Environment			
	Revenue	20,10,47,200	0	20,10,47,200
058.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity			
	Revenue	40,52,00,00,000	0	40,52,00,00,000
	Capital	4,85,40,01,000	0	4,85,40,01,000
060.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes			
	Revenue	4,78,62,700	0	4,78,62,700
	Capital	1,07,04,83,300	0	1,07,04,83,300
061.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package			
	Capital	4,50,00,000	0	4,50,00,000
063.	Minority Welfare			
	Revenue	78,55,900	0	78,55,900
	Capital	95,08,00,000	0	95,08,00,000
064.	Financial assistance to Urban bodies			
	Revenue	6,07,66,95,000	0	6,07,66,95,000
	Capital	25,00,00,000	0	25,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
065.	Aviation			
	Revenue	4,02,00,000	0	4,02,00,000
	Capital	33,50,00,000	0	33,50,00,000
066.	Welfare of Backward Classes			
	Revenue	6,30,00,000	0	6,30,00,000
068.	Public Assets Management			
	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
Total :				
	Revenue	— 1,46,55,78,08,563	44,05,200	1,46,56,22,13,763
	Capital	— 21,15,75,03,400	0	21,15,75,03,400
	Grand Total	— 1,67,71,53,11,963	44,05,200	1,67,71,97,17,163